F.No. FS/6-2/235

OFFICE OF THE FOREST SETTLEMENT OFFICER
ASSISTANT COMMISSIONER (FOREST SETTLEMENT)
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS
A & N ADMINISTRATION, CHATHAM
PORT BLAIR

Port Blair, dated the 26th February 2018.

(PROCLAMATION UNDER SECTION 6 OF THE INDIAN FOREST ACT, 1927)

Whereas a Notification (F.No. FS/4-2/86 dated 14th February 2017) under section 4 of The Indian Forest Act, 1927 to constitute the area specified in the schedule below as "Reserved Forest" has been issued by the A & N Administration and published in the Extraordinary issue of the Official Gazette No. 238 dated 14/2/2017.

Now under section 6 of the said Act the Assistant Commissioner, Forest Settlement appointed as the Forest Settlement Officer vide the aforesaid Notification dated 14th February 2017, do hereby publish this proclamation explaining the consequences which will ensue on the reservation of the Forest land in the schedule below:-

SCHEDULE

Port Mout Village (Muslim Basti) in Ferrargunj Tehsil , South Andama (area 26 Hectares).

A compact parcel of Revenue Land bearing Survey No. 5/6 measuring 26 hects situated in Port Mout Village (Muslim Basti) under Ferrargunj Tehsil, South Andaman District mutated in favour of the Forest Department for raising Compensatory Afforestation, separately demarcated on the ground with the boundary descriptions of the aforesaid piece of land under

North : Forest land (Port Mout Muslim Basti Protected Forest Block)

East : Revenue allotted land bearing S.N 5/P

South : Revenue allotted land bearing S No. 5/P

West : Forest land (Port Mout Muslim Basti Protected Forest Block)

The following consequences will ensue on the reservation of forest land in the above mentioned areas :-

That any person who, in the land specified in the above schedule;-

a) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons as the Forest Officer may notify in this behalf;
b) trespasses or pastures cattle or permit cattle to trespass ;
c) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber;
d) fells, girdles, lops, taps or burns any tree or strips off the bark or leaves from or otherwise damages the same;
e) quarries stone, burns lime or charcoal or collects subjects to any manufacturing process, or remove any forest produce.
f) clears or breaks up any land for cultivation or any purpose; or
g) In contravention of any rules made in this behalf by the state Govt; hunts , shoots, fishes, poisons water or set traps or snares;

Shall be punishable under relevant section of Indian Forest Act 1927 or any other applicable law in force, but nothing shall be deemed to prohibit, if any act done by the permission in writing of the Forest Officer, or under any rules made by the State Govt.

Any person, claiming any right alleged to exist in his/her favour in or over

three months from the date of issue of this proclamation ,either present to the undersigned a written notice specifying or to appear in person and state the nature of such right and the amount and particulars of the compensation (if any) claimed in respect thereof and in either case, to produce all documents in support thereof. No claim will be entertained after the expiry of the stipulated period

Given under my hand and seal of this office, the 26 day of February, 2018.

(Mukesh Kapoor)
(Forest Settlement Officer)
Assistant Commissioner,
Forest Settlement,
Chatham, Port Blair

फा.सं. एफ.एस./6-2/235

वन बन्दोबस्त अधिकारी का कार्यालय

सहायक आयुक्त(वन बन्दोबस्त)

पर्यावरण तथा वन विभाग

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

चाथम,पोर्ट ब्लेयर

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

(भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 6 के तहत उद्घोषणा)

चूँकि निम्नलिखित विनिर्धारित क्षेत्र को "आरक्षित वन" के रूप में स्थापित करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत दिनांक 14 फरवरी, 2017 को अधिसूचना (फा.सं. एफ.एस./4-2/86) जारी की गई थी और दिनांक 14/2/2017 के सरकारी राजपत्र के असाधारण अंक की अनुसूची सं. 238 में प्रकाशित किया गया था।

अब उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत दिनांक 14 फरवरी, 2017 की उपरोक्त अधिसूचना द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त सहायक आयुक्त, वन बन्दोबस्त एतदद्वारा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाई गई वन भूमि के आरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में परिणामों को स्पष्ट करते हुए यह उद्घोषणा प्रकाशित करते हैं।

अनुसूची

फरारगंज तहसील, दक्षिण अण्डमान में पोर्ट मोट गाँव (मुस्लिम बस्ती) (26 हेक्टेयर क्षेत्र)

दक्षिण अण्डमान जिले के फरारगंज तहसील के तहत पोर्ट मोट गाँव (मुस्लिम बस्ती) में स्थित सर्वेक्षण सं. 5/6 वाली 26 हेक्टेयर की राजस्व भूमि को प्रतिपूरक वन रोपण के लिए वन विभाग के पक्ष में नामांतरण किया गया है। उपरोक्त भू-खण्डों को निम्नलिखित अनुसार सीमा विवरण के साथ भूमि पर अलग से सीमांकित किया गया है।

उत्तर- वन भूमि (पोर्ट मोट मुस्लिम बस्ती संरक्षित वन खण्ड।

पूर्व- राजस्व अबंटित भूमि स.सं. 5/पी

दक्षिण - राजस्व अबंटित भूमि स.सं. 5/पी

पश्चिम - वन भूमि (पोर्ट मोट मुस्लिम बस्ती संरक्षित वन खण्ड)

उपरोक्त क्षेत्र की वन भूमि के आरक्षण पर निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे:-

किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त अनुसूचि में दर्शाई गई भूमि में :-

(क) वन अधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिसूचित मौसमों को छोड़कर किसी भी तरह से आग सुलगाने, आग रखने या ले जाने पर;

(ख) मवेशियों को घुसपैठ करवाने या चराने या मवेशियों को इसके भीतर जाने देने पर;

(ग) किसी पेड़ को गिराने या काटने, किसी लकड़ी को घसीटते समय लापरवाही बरतने पर किसी प्रकार की क्षति होने पर;

(घ) छाल या पत्तों को काट कर गिराने, काट-छाँट करने, छाल उतारने या जलाने या इसी तरह से कोई नुकसान पहुँचाए जाने पर;

(ङ) किसी निर्माण प्रक्रिया के लिए पत्थर निकालने, चूना या चारकोल जलाने एकत्र करने अथवा किसी भी वन उत्पादों को हटाने पर ;

(च) कृषि या किसी प्रयोजन के लिए भूमि को साफ करने या कटाई करने पर; या

(छ) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने, शिकार करने, गोली चलाने, मछली पकड़ने, जल को जहरीला बनाने या फंदा लगाने अथवा जाल बिछाने पर

उन्हे भारतीय वन अधिनियम 1927 की संबंधित धारा या लागू नियम के तहत दण्डित किया जाएगा, किन्तु यदि वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के तहत लिखित में अनुमति लेकर किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है तो इस पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति, अनुसूची में दर्शाई गई किसी वन उत्पाद पर अपने अधिकार होने से संबंधित दावे अथवा, इस उद्घोषणा के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर या तो विवरण देते हुए लिखित नोटिस अधोहस्ताक्षरी को दे सकता है या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर अधिकार की प्रकृति और इस संबंध में मुआवजे (यदि कोई हो) के दावे से संबंधित राशि और विवरण तथा सभी दावों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मेरे द्वारा तथा इस कार्यालय के मुहर के तहत दिनांक 26 फरवरी, 2018 को दिया गया।

(मुकेश रंजन)

वन बन्दोबस्त अधिकारी
वन बन्दोबस्त
पाथम, पोर्ट ब्लेयर

Office of the ... Settlement Officer
A & N Islands, Port Blair